खण्ड-288, अंक-1
सोमवार, 1 चैत्र, शक संवत् 1893
(22 मार्च, 1971 ई0)

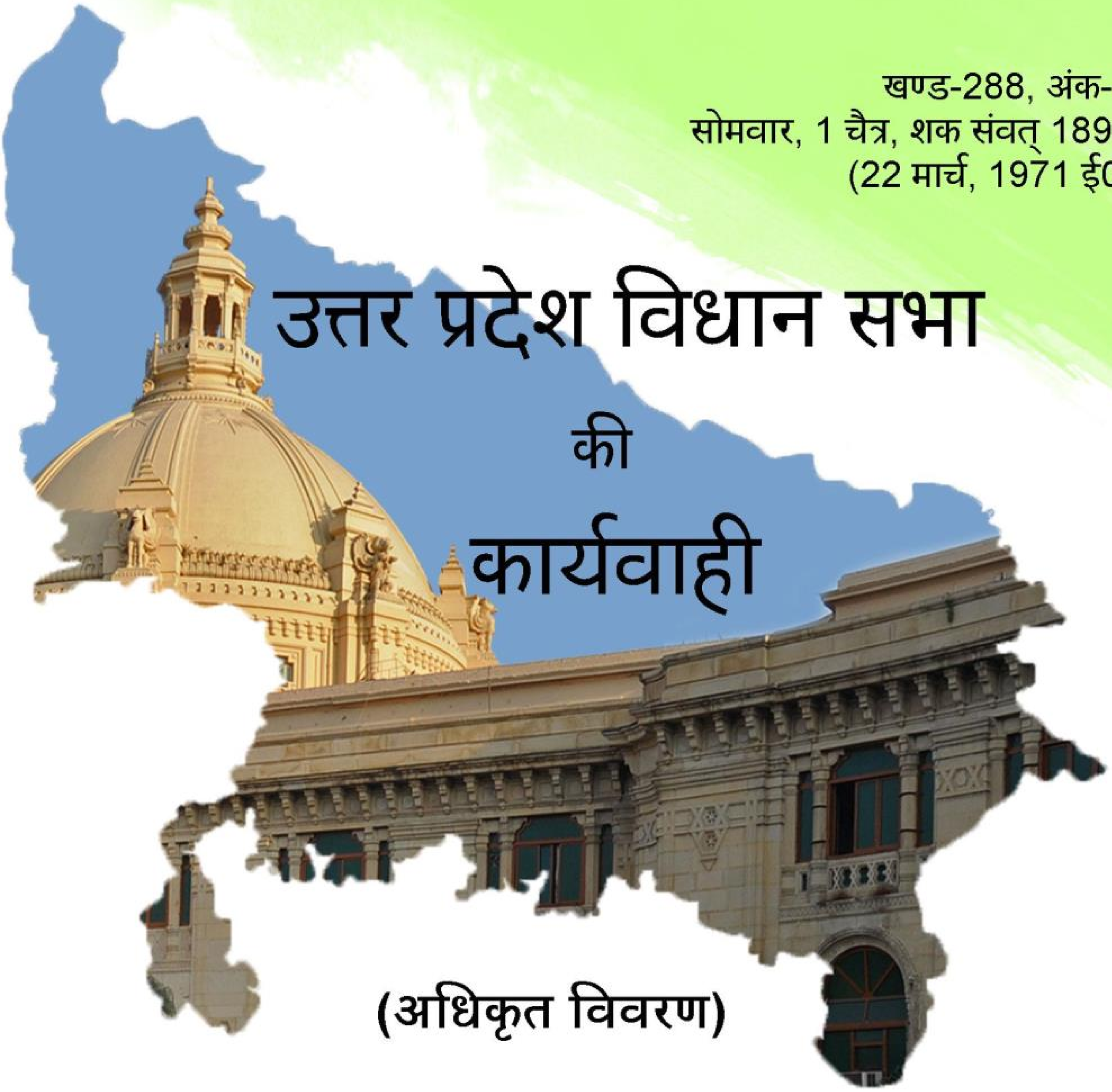

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 288 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१-५
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	६
श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण का आंशिक पाठ ..	६
भूतपूर्व राज्यपाल, श्री कन्हैयालाल माणिक लाल मुन्शी के निधन पर शोकोद्गार	६-८
भूतपूर्व सदस्य, श्री अतीकुर्रहमान, श्री वीरेन्द्र शाह, श्री मोहम्मद इशहाक तथा श्री रघुनाथ प्रसाद के निधन पर शोकोद्गार	८-११
१९७०-७१ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये) ..	११
१९७१-७२ का आय-व्यय (प्रस्तुत किया गया)	११-१४
१९७१-७२ के लिये लेखानुदान (प्रस्तुत किये गये) ..	१४
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) अध्यादेश, १९७० (सदन के पटल पर रखा गया)	१४
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) अध्यादेश, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया)	१५
कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया)	१५
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अध्यादेश, १९७१ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	१५
उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६८-६९ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	१५
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गयी)	१५
वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की अधिसूचना संख्या एस० टी० ८७१/बस---९०० (१२)-६७, दिनांक ४ फरवरी, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी)	१६
उत्तर प्रदेश इन्टरटेनमेन्ट्स ऐण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) ..	१६
कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	१६
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये) ..	१६
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० में किये गय शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	१६
इन्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन (सदन के पटल पर रखे गये)	१७

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) ..	१७
उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेन्ट्स ऐंड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१७
कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१७
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१८
उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१८
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१८
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय–कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० .. (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१८
उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९७० .. (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१९
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७० .. .. (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१९
उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७० .. (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१९
उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण विधेयक, १९७० .. (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१९
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७० (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	२०
विष्ट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	२०
उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण विधेयक, १९७० .. .. (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	२०
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा) ..	२०
उत्तर प्रदेश इन्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० .. (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	२१
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थाई अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० (श्री राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा)	२१
लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग–पत्र	२१
श्री गोविन्द सिंह द्वारा मंत्रि-परिषद् में दिये गये अविश्वास के प्रस्ताव को वापस लेना	२१–२३
नत्थियां	२४–३२

विद्युत मंडल रतलाम

133940

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २२ मार्च, १९७१

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ३ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३९४

अजीतप्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्र नाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री

गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल , डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर गंगवार, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायणमणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर,, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म प्रसाद सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतरामसिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायन गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री

प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखानसिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखनलाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)

राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
राम कुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामवचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति "अंचल", श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
राम लखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मी रमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव ,श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)

शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्री निवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल घुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट—मुख्य मंत्री, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश तथा शिक्षा मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[श्री राम कृष्ण द्विवेदी ने शपथ ग्रहण की]

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण का आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष—

श्री राज्यपाल ने विधान मंडल के सदस्यों के समक्ष जो अभिभाषण दिया है उसे मैं संक्षेप में पढ़ कर सुनाये देता हूं :—

"नये वर्ष का प्रथम सत्र लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के पश्चात् आज प्रारम्भ हो रहा है। जैसा कि आप जानते है, चुनाव अल्प सूचना पर कराये गये थे, फिर भी यह सन्तोष का विषय है कि चुनाव आमतौर से शान्ति के साथ सम्पन्न हो गये हैं।" तरीका यह रहा है कि पूरा भाषण पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अब मैं इसका अन्तिम पैराग्राफ पढ़े देता हूं। "कुछ अध्यादेश मैंने विधान सभा सत्र के सत्रावसान के बाद जारी किये थे उनके स्थान पर विधेयक इसी सत्र में पारित करने की आप से अपेक्षा की जायगी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यक विधायी प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत किये जायेंगे

इन शब्दों के साथ मैं वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ पर आपका स्वागत करता हूं।"

(पूर्ण अभिभाषण के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २४–२७ पर)

भूतपूर्व राज्यपाल, श्री कन्हैयालाल माणिक लाल मुन्शी के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मन्त्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह)—

मुझे यह कहते दुख होता है कि हमारे भूतपूर्व राज्यपाल और पुराने राजनीतिक नेता, श्री कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी का देहावसान ८ फरवरी को हो गया और मरने के समय उनकी अवस्था ८४ वर्ष की थी। सभी लोग मुंशी जी के व्यक्तित्व से परिचित होंगे। उन्होंने साहित्य राजनीति तथा समाज सेवा में, सभी क्षेत्रों में बहुत सी सेवायें कीं जो बराबर याद रखी जायंगी। वे बड़े सुविज्ञ विद्यार्थी थे। एक मध्यम श्रेणी के परिवार में पैदा हो कर अपनी विद्या तथा बुद्धि के बल पर उन्होंने अपना स्थान संसार में बनाया। अंग्रेजी तथा गुजराती में वे सुविख्यात लेखक थे और ४०, ४५ किताबें उन्होंने लिखी हैं।

यही नहीं, वे एक बड़े ख्याति–प्राप्त और अच्छे वकील भी थे और बार–कौंसिल के वाइस प्रेसिडेन्ट थे। वकील के नाम पर उन्होंने काफी यश कमाया क्योंकि वे लीडिंग लायर थे। वे शिक्षा में दिलचस्पी लेते थे। उन्हें शिक्षा संस्थाओं से बड़ा प्रेम था और उन्होंने भवन जनरल और भारतीय विद्या भवन भी खुलवाया था। साथ ही उन्होंने राजनीतिक जीवन में बड़ा भाग लिया। वे हमारी कांग्रेस महासमिति की कार्य समिति के सदस्य १९३० में हो गये थे और तब से बराबर राजनीति में भाग लेते रहे। सन् १९५१–५२ में जब हमारा नया मंत्रि–मंडल बना था तो वे हमारे केन्द्र में खाद्य तथा एग्रिकल्चर के मंत्री हुये थे। वे बहुत सी बातों में बहुमुखी पद्धति के आदमी थे। उनका सबके साथ मिलना और बैठना होता था और बड़ी सुख की बातें होती थी। वे बड़े अच्छे होस्ट थ। मुझे तो कई बार उनके यहां जाने का मौका मिला। सभी के साथ प्रेम और स्नेह से बात करते थे। साथ ही यदि आप अनुमति दें तो मैं चाहूंगा कि उनके परिवार वालों को हम लोग अपनी संवेदना आपके जरिये भेज दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो महामान्य स्वर्गीय श्री के० एम० मुन्शी के प्रति अपने उद्गार व्यक्त किये हैं मैं अपने को और अपने दल को उनकी भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं। स्व० श्री के० एम० मुन्शी का स्थान हमारे देश के निर्माताओं में से है। जिस प्रकार उन्होंने अपने विविध व्यक्तित्व द्वारा और बहुमुखी योग्यता के द्वारा देश की सेवा की है उसका विवरण माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां प्रस्तुत किया है। आज भी हमारा जो भारतीय विद्या भवन है और उसकी जो अनेक शाखायें हैं वे उनकी यश-पताका को फहरा रहे हैं चाहे वह एक विषद् पार्लियामेन्टेरियन के रूप में हो, चाहे एक हिन्दी के प्रकान्ड विद्वान के रूप में हो और चाहे गुजराती और अंग्रेजी के साहित्यकार के रूप में हो या चाहे एक प्रशासक के रूप में हो, मुन्शी जी ने देश के राष्ट्रीय जीवन में जिस सेवा का प्रयास किया उसको उन्होंने प्रकाशित और चमत्कृत किया और इस राज्य में राज्यपाल होने के नाते उनका व्यक्तित्व और भी निखरा। हमारे प्रदेश के शासन में उनके व्यक्तित्व की छाप आज भी प्रकाशित हो रही है। जो उन्होंने यहां पर लैंड स्कूल बनवाये भूतपूर्व सैनिकों के लिये, उसके लिये यह प्रदेश में हमेशा उनको याद रखेगा। यहां के विश्वविद्यालयों में चान्सलर होने के नाते उन्होंने बहुत से सुधार किये। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति होने के नाते उन्होंने हिन्दी साहित्य को और हिन्दी भाषा-भाषी जगत को जो नेतृत्व प्रदान किया और राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने में जो उनका योगदान रहा उसको भी हमारा प्रदेश और देश कभी भूल नहीं सकता। कांग्रेस के और राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख सेनानी होने के नाते भी जो उनका नेतृत्व रहा वह हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमन्, आप से आग्रह करूंगा कि हमारे दल की तरफ से श्रद्धांजली उनके शोक संतप्त परिवार तक आप पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय मुंशी जी के बारे में जो माननीय मुख्य मंत्री और तिवारी जी ने भावनायें व्यक्त की हैं मैं अपने और अपने दल को उनसे संबद्ध करता हूं। मान्यवर, स्व० के० एम० मुंशी हमारे देश के न केवल एक महान साहित्यकार थे, न केवल एक महान नेता थे बल्कि एक महान चिन्तनशील व्यक्ति थे। उनको खो कर हमारे देश ने एक बहुत बड़े विशिष्ट व्यक्ति को खो दिया है। इन शब्दों के साथ मेरे और मेरे दल की ओर से संवेदना उनके संतप्त परिवार तक आप भेज दें।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, माननीय स्व० मुंशीजी के संबंधमें नेता सदन और माननीय त्रिपाठी जी ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया है उनसे मैं अपने को संबद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारे और हमारे दल की तरफ से संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

मुझे बेहद अफसोस है और जिन ख्यालात का इजहार मुंशी जी के बारे में किया गया है मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और यह चाहूंगा कि उनके खानदान को हमारी तरफ से खिराजे अकीदत पेश किया जाय, उससे हमारे दल को भी सम्मिलित कर दिया जाय।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

माननीय के० एम० मुंशी जी के निधन पर जो भावना माननीय मुख्यमंत्री जी ने तथा अन्य मेरे साथियों ने व्यक्त की है, मैं उन भावनाओं से अपने को तथा अपने दल को संबद्ध करता हूं और आप से यह निवेदन करता हूं कि हमारी भावना उनके संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

आदरणीय सदन के नेता तथा अन्य दलों के नेताओं ने स्व० श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी के संबंध में जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को संबद्ध करता हूं। उनका निधन अपने देश के लिये बहुत ही दुखद घटना हुई है। उन्होंने हर क्षेत्रमें, जिस क्षेत्र में वह पदार्पण करते थे, ऊंचे से ऊंचा काम करके उन्होंने दिखाया चाहे वह साहित्यिक क्षेत्र हो, अंग्रेजी साहित्य हो, चाहे हिन्दी साहित्य हो। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं और कई विषयों पर लिखीं।

जहां तक संविधान का संबंध है, वह संविधान के निर्माता रहे हैं और जो उनकी प्रसिद्ध संस्था भारतीय विद्या भवन है, वह एक ऐसी साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था रही है जिसकी बहुत से प्रदेशों में शाखायें भी हैं और उसके द्वारा हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रकाश उन्होंने सब जगह फैलाया।

वे अच्छे विद्वान् लेखक भी थे और उसके साथ-साथ संविधान के बड़े भारी ज्ञाता रहे हैं।

ऐसे महापुरुष के चले जाने से जो क्षति हुई है, उसकी पूर्ति होना संभव नहीं है। हम लोगों को खास तौर से उनके निधन का दुःख है क्योंकि हमारे प्रान्त में वे ५२-५७ तक राज्यपाल रहे। यहां पर जितने भी सांस्कृतिक कार्य हुआ करते थे और यहां की जितनी भी महत्व की संस्थाएं थीं, उनमें जाकर वे उनकी कुछ न कुछ सहायता ही किया करते थे। उन्होंने यहां पर नयी नयी संस्थाओं को भी खोलने का प्रयास किया। ऐसे विद्वान और देशभक्त के निधन पर इस सदन को दुःख होना स्वाभाविक ही है। उनके प्रति जो आप लोगों ने भावनायें प्रकट की हैं, उनको उनके कुटुम्ब तक भेज दूंगा। अब हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करने के लिये २ मिनट के लिये खड़े होंगे कि वह उनकी आत्मा को शांति दे।

(सब सदस्य २ मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये।)

भूतपूर्व सदस्य, श्री अतीकुर्रहमान, श्री वीरेन्द्रशाह, श्री मोहम्मद इशहाक तथा श्री रघुनाथ प्रसाद के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री त्रिभुवन नारायण सिंह) --

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को यह समाचार देते हुए दुःख होता है कि हमारे विधान सभा के सदस्य और हमारे पुराने साथी, श्री अतीकुर्रहमान का देहावसान १७ फरवरी, १९७१ अजीब परिस्थिति में हो गया। उनका शरीर कुएं में पड़ा हुआ मिला। उस पर आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट भेजी है। वे हमारे यहां के पुराने साथी, श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम के पुत्र थे। लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और १९५१ में उन्होंने वकालत शुरू कर दी नगीना में और सन १९६८ में वे उच्च न्यालय में वकालत करने लगे। हाफिज जी के देहावसान के बाद वे नगीना से बाई-इलेक्शन में चुन कर आये थे। १९६८ में वे गुप्ता जी की मिनिस्ट्री में मंत्री रहे और बाद में भी श्री चरण सिंह की सरकार में भी वे मंत्री रहे। अतीकुर्रहमा एक अच्छे कवि भी थे। उनको उर्दू की शायरी का शौक था। वे केवल रूखे राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, एक साहित्यिक आदमी थे। उनके देहावसान से सदन को दुःख है। मेरा आपसे निवेदन है कि उनके परिवार के पास हम लोगों की समवेदना भेज दें।

साथ ही हमारे एक और साथी श्री मुहम्मद इशहाक का भी देहावसान ३१ दिसम्बर १९७० को हो गया है। वे ६८ वर्ष के थे। वे वकील भी थे और अक्सर अखबारों में लिखा करते थे।

माननीय वीरेन्द्रशाह, राजा साहब जगमनपुर के भी निधन का जिक्र करना चाहता हूं। उनकी अवस्था ५५ वर्ष की थी जब उनका देहावसान हुआ। वह पहले १९४७ से लेकर विधानसभा के सदस्य थे और उसके बाद विधान परिषद के सदस्य हुये। उनको शिक्षा संस्थाओं

से बड़ा स्नेह था। कई स्कूलों तथा कालेजों के वे संस्थापक थे और उनके कार्यों में बड़ी दिलचस्पी लिया करते थे। मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार के प्रति हमारी सम्वेदना भेज दी जाय। मैं श्री रघुनाथ प्रसाद जी के निधन के सम्बन्ध में भी खेद प्रगट करता हूं और मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारी सम्वेदना उनके परिवार के पास भज दी जाय।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपने साथियों के निधन पर दुःख प्रगट किया है और अपनी सम्वेदना अभिव्यक्त की उस से मैं अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री अतीकुर्रहमान हमारे इसी सदन में मंत्रि-परिषद के सदस्य थे। अपने प्रदेश के एक बहुत अच्छे युवक थे, सार्वजनिक सेवी थे, देशभक्त थे और एक ऐसे परिवार से आये हुये व्यक्ति थे जिनका सारा परिवार बहुत समय से, गत ५० वर्षों से देश की सेवा में लगा रहा है। उनका निधन जिस दुःखद स्थिति में हुआ उससे सभी को बहुत गहरा धक्का लगा है। कदाचित उनकी लाश कुवें में से बरामद हुई, उनके बदन पर कोई चोट नहीं थी। साधारणतया यह माना गया है कि उन्होंने कदाचित आत्महत्या की। एक ऐसी परिस्थिति में उनका शव बरामद हुआ और यह एक ऐसी आकस्मिक घटना हुई है जिससे हमारे हृदय को चोट लगना स्वाभाविक है। उनके परिवार के प्रति, उनकी पत्नी, उनके भाई बन्धुओं के प्रति हम अपनी सम्वेदना प्रकट करते हैं और मानते हैं कि हमारे प्रदेश का एक उठता हुआ युवक जिसका भविष्य उज्जवल था, वह हमारे बीच से उठ गया और जो क्षति हुई है उनकी मृत्यु से, उसकी पूर्ति कठिनाई से होगी।

राजा वीरेन्द्रशाह जी हमारे इसी सदन के माननीय सदस्य रहे हैं और विधान परिषद के भी रहे हैं। वे हम सब के बड़े पुराने साथी, मिलनसार और अपने क्षेत्र के लोकप्रिय व्यक्ति रहे हैं। उनका देहावसान हमारे सब के लिये बड़े दुख का कारण है। मुहम्मद इशहाक साहब को शायद हमारे नये साथी नहीं जानते होंगे। वे उस जमाने में हमारे सदन के माननीय सदस्य थे जब इस प्रदेश में विरोधी दल के रूप में मुस्लिम लीग बैठती थी। वे बैरिस्टर थे, अच्छे लेखक तथा पत्रकार थे और बड़े अच्छे वक्ता थे। वे बस्ती के निवासी थे और अब भी जब कभी उनसे भेंट मुलाकत होती थी तो वे वैसे स्नेह से मिलते थे। उनके देहान्त से हमारे प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में बड़ी क्षति पहुंची है।

माननीय रघुनाथ प्रसाद जी, मेरा खयाल है कि १९५१ से लेकर १९६७ तक इलाहाबाद से विधान सभा के सदस्य रहे और वे शंकरगढ़ (इलाहाबाद) के निवासी थे। अभी हाल ही में अस्पताल में उनका देहान्त हो गया। वह एक अच्छे कार्यकर्ता थे। वह सीधे सादे और सरल जीवन के आदमी थे। वह कोई बहुत बड़े परिवार के भी नहीं थे। गरीब परिवार के थे। उनका निधन हम सब के लिये दुख का कारण है। मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे पक्ष और हम सब लोगों की, जैसे नेता सदन ने कहा है कि सारे सदन की सहानुभूति और सम्वेदना इन लोगों के परिवार तक पहुंचा दें और हम सब को इस बात का दुख है कि हमारे सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में हमको यह धक्का लगा है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल) ---

मान्यवर, जिन दिवंगत आत्माओं के प्रति माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय नेता विरोधी दल ने विचार व्यक्त किये हैं उन भावनाओं से मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, जहां तक माननीय अतीकुर्रहमान साहब का सवाल है वह हमारे सदन के सदस्य रह चुके हैं और मेरे एक अच्छे मित्रों में से थे। एक तरक्की पसन्द नौजवान थे। एक नौजवान का इस तरह से हमारे बीच से चले जाना हमारे लिये बहुत बड़ा आघात है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी तथा मेरे दल की भावनाओं को उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, जिन मृतात्माओं के प्रति मुख्य मंत्री जी और नेता विरोधी दल ने तथा अन्य नेताओं ने भावना व्यक्त की है उसी भावना के अन्तर्गत में अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। जहां तक अतीकुर्रहमान साहब की बात है यह हमारे साथी रह ह। उनका निधन ऐसी स्थिति में हुआ कि वह हम सब के लिये आश्चर्य की बात है। ऐसी स्थिति में उनके परिवार को बहुत दुःख हुआ है। इसलिये संतप्त परिवार तक मेरी और मेरे दल की भावनाओं को पहुंचाने की कृपा करें।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

जनाबवाला, अभी मुख्य मंत्री जी ने जिन लोगों के इन्तकाल पर अपने ख्यालात का इजहार किया है मैं भी उन ख्यालात में अपने को और अपनी पार्टी को शामिल करता हूं और आपसे यह इस्तदुआ करता हूं कि उन लोगों के खानदान तक हमारे जजबात का पैगाम पहुंचा दिया जाय। मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से इस बात का इजहार होना जरूरी है कि हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि जिन साथियों से कुछ दिन पहले हम यहां पर बैठ कर बात किया करते थे आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। इन साथियों के निधन पर माननीय मुख्य मंत्री तथा हमारे अन्य साथियों ने जो विचार व्यक्त किये हैं और भावनायें प्रकट की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि हमारी सम्वेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो भावना श्री अतीकुर्रहमान, राजा जगमनपुर, मुहम्मद इशहाक खां और रघुनाथ प्रसाद जी के प्रति व्यक्त की है उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। विशेष कर मेरा सम्बन्ध अतीकुर्रहमान से दो पीढ़ियों का रहा है। हाफिज मुहम्मद इब्राहीम इस सदन के सदस्य रहे हैं। इसके बाद वह लोक सभा या राज्य सभा में यहां से गये। यहां पर जब कभी वह बोलने के लिये खड़े होते थे, मैं जानता हूं कि कैसा भी वातावरण यहां पर गर्म क्यों न रहा हो वह शान्त कर देते थे। अपने भाषण से वह लोगों को समझाने में सफल प्रयत्न करते थे। यह एक विशेषता उनमें थी। श्री अतीकुर्रहमान साहब उसी सभ्यता के और उसी माहौल के आदमी थे। वह कभी गुस्सा नहीं करते थे, हंसी उनकी चाहे कोई उड़ाये लेकिन वह उत्तर शांति से देते रहते थे। जब कभी वह बाहर कहीं मिलते थे तो हमेशा वह पुराने आदमियों की याद रखते थे जिनसे उनकी कभी भेंट हो गई हो। इतने अच्छे व्यक्ति का निधन इस तरह से हो जाय आत्महत्या से तो जरा आश्चर्य होता है। लेकिन सत्य कितना भी कड़वा हो उसे स्वीकार ही करना पड़ता है। ऐसी कोई दुःख की घटना उनके जीवन में रही जो वह अपने हृदय में रखे रहे और आखिर में जब वह चीज उनकी बरदाश्त के बाहर हो गई होगी तभी ऐसा कार्य उन्होंने किया।

इसी तरह से हमारे साथी, श्री मोहम्मद इशहाक खां भी हमारे बीच में नहीं रहे, वह हमारे पुराने सदस्य थे और कुछ समय कांग्रेसी भी रहे और कुछ काल विरोधी भी रहे, वह मुस्लिम लीग की तरफ से भी रहे लेकिन मैं जानता हूं कि उनके पास कभी कड़ुवापन मैंने नहीं देखा, तीखापन तो आता ही नहीं था। वह हमेशा खुश मिजाज रहते थे और अगर कोई ऐसी बात हो जाती थी जिसमें गर्मागर्मी भी आ जाती थी तो वह अपने भाषण से उसमें ठंडक ले आते थे, कुछ मजाक और हंसी की बात वह ऐसी कह देते थे जिससे लोग हंसी में अपने क्रोध को भुला देते थे। वह एक विद्वान पुरुष थे और बैरिस्टर भी थे। उन्होंने पायनियर पत्र में भी एक जमाने में कार्य किया था। इस हिसाब से वह लेखक भी रह और साहित्यिक भी रहे, उनका निधन भी हम सब लोगों के लिये बहुत दुख है।

राजा-साहब, जगमनपुर यद्यपि यहां के बड़े जमींदारों और ताल्लुकेदारों में से थे लेकिन उनमें कोई अभिमान की बात कभी नहीं देखी गई या कभी उन्होंने किसी को बुरा भला कहा हो, ऐसी बात कभी नहीं देखी गयी बल्कि वह हर एक चीज सुनने को तैयार थे। उत्तर भी जो वह देते थे उसमें थोड़ी सी हंसी का पुट रहता था और उस से हंसी उत्पन्न होती थी, क्रोध तो उनको कभी आता ही नहीं था। वह एक सज्जन पुरुष थे और बहुत सी संस्थाओं को उन्होंने पैसे से सहायता दी और उनके संचालन में भी उनका सक्रिय सहयोग रहता था।

श्री रघुनाथ प्रसाद भी सज्जन पुरुष थे, वह यद्यपि मामूली कुटुम्ब के थे लेकिन वह बहुत कार्यशील थे और वह देश सेवा और समाज सेवा करने में सदा आगे रहते थे, अपने इलाहाबाद जिले में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। जब से पिछली बार यह सदन उठा तब से इस सदन के आरम्भ के बीच इतने लोगों का निधन हो जाना बड़ी दुखद घटनाएं हैं। मैं उन सबके परिवार तक अपनी और सदन की सम्वेदना भेज दूंगा। अब हम इन दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये २ मिनट खड़े होकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे।

(सब सदस्य २ मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये)

१९७०–७१ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं वित्तीय वर्ष १९७०–७१ के द्वितीय अनुपूरक अनुदान को प्रस्तुत करता हूं।

१९७१–७२ का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

श्रीमन्, मैं वर्ष १९७१–७२ का बजट प्रस्तुत करता हूं।

चुनावों.....

श्री अध्यक्ष—

बजट की प्रतियां भाषण से पूर्व सदस्यों में बांट दी जायं।

(प्रतियां बांटी गईं।)

श्री कैलाश प्रकाश—

इस वर्ष की परिस्थितियों को, विशेषकर लोक सभा के मध्यावधि चुनावों में माननीय सदस्यों की व्यस्तता को देखते हुए, इससे पूर्व सदन की बैठक बुलाना सम्भव नहीं हो सकता था। इसलिये मुझे एक अस्थायी बजट प्रस्तुत करना पड़ रहा है। जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद २०६ के अधीन बजट वर्ष में वर्तमान सेवाओं और योजनाओं पर, जिनमें चालू आयोजनागत योजनायें भी शामिल हैं, होने वाले व्यय की पूर्ति के उद्देश्य से चार मास की अवधि के लिए लेखानुदान की मांग की जा रही है। पूरे बजट में, जो आगे चल कर प्रस्तुत किया जायगा, नई मदें और योजनाएं सम्मिलित की जायंगी।

पूरे बजट के साथ .....

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। यह बड़े आश्चर्य की बात है, वित्त मंत्री जी ने कहा कि मुझे अस्थायी बजट प्रस्तुत करना पड़ रहा है। जो बजट होता है वह आर्टीकल २०२ के आधार पर एनुअल फायनेंशल स्टेटमेंट होता है। संविधान में अस्थायी या टैम्पोरेरी बजट का कोई प्राविधान नहीं है। यह अस्थायी बजट किस नियम या आर्टीकल के अन्तर्गत पेश किया जा रहा है?

श्री कैलाश प्रकाश--

श्रीमन्, इस सदन में इससे पूर्व भी यह प्रश्न उपस्थित हो चुका है। जब लेखानुदान की मांग की जाती है तो उसमें बजट प्रस्तुत किया जाता है लेकिन इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि इसके बाद एक दूसरा भी बजट या वित्तीय विवरण आने वाला है--जैसा कि आगे मैं अपने वक्तव्य में स्पष्ट करूंगा, बहुत से अनुदान इस बजट में सम्मिलित नहीं किये गये हैं--इसको अस्थायी बजट कह कर भिन्न करने के लिए उसको पूरा बजट कहने की मैंने चेष्टा की है। जब हम दो विवरण पेश करेंगे तो उनमें भिन्नता लाने की आवश्यकता है जिससे माननीय सदस्य उसको समझ सकें। जिस धारा की माननीय सदस्य ने चर्चा की है उस धारा के ऊपर इसी सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है और यह स्पष्ट किया जा चुका है कि बजट प्रस्तुत किये जा सकते हैं, दूसरा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। उस धारा में "ए" लिखा हुआ है। कानूनी तरीके से सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल।

श्री अध्यक्ष--

यह चीज कई बार डिस्कस हो चुकी है, यह कहा जा चुका है कि दो बजट नहीं हो सकते हैं। एडवोकेट जनरल की भी यहां राय मंगवाई गई थी और उन्होंने भी यह बात कही थी कि सिंगुलर इन्क्लूड्स प्लूरल आल्सो। बजट हम पेश करते हैं वह कई भागों में हो सकता है। यह चीज उन्होंने बताई थी। अब यह कहना कि अस्थायी बजट है अथवा नहीं तथा अपूर्ण बजट है यह कहां तक उचित होगा? शब्दों के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह बजट सम्पूर्ण बजट का हिस्सा है इसलिये इसको अपूर्ण बजट भी कह सकते हैं। यह जो अस्थायी बजट कहा गया है यह तो केवल शब्दों की बात है। खास तौर से हमारे नेता विरोधी दल साहित्यिक व्यक्ति हैं और वह इसको बता सकेंगे कि इस बजट को क्या कहा जाय। हमारे उपाध्यक्ष जी भी भाषा विज्ञान के जानकार हैं वह भी इस पर प्रकाश डाल सकते हैं, कुछ लोग ऐसे बजट को अन्तरिम बजट कह सकते हैं।

श्री बासुदेव (जिला प्रतापगढ़)--

इसको तो आंशिक बजट कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि यह सम्पूर्ण भी नहीं है और अपूर्ण भी नहीं है।

न्याय मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--

अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने जो आर्टिकिल की धारा बताई है, वह गलत बताई है। यह २०२ में नहीं है बल्कि २०६ में है। २०६ में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसके अर्थ अस्थायी, आने वाला बजट के लिये ही प्रयोग किया जा सकता है। अस्थायी के अर्थ तो एक सीढ़ी के हैं। इसका स्पष्टीकरण करने के लिये ही मुझ को खड़ा होना पड़ा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

हमारे मंत्री जी की बुद्धि के भ्रांति ही की यह बात है। यह सरकार ही बिल्कुल अस्थायी है और इसीलिये उसने अस्थायी बजट पेश किया है।

(माननीय मंत्री ने बजट स्पीच को आगे पढ़ा)

श्री कैलाश प्रकाश--

जो ब्योरेवार अनुमानों तथा अनुदानों से सम्बन्धित खण्ड दिये जाते हैं वे इस समय नहीं पेश किये जा रहे हैं और जैसा कि ऐसे अवसरों पर पहले होता आया है, लेखानुदान के प्रयोजन के लिये संक्षिप्त बजट के रूप में एक वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया गया है। परम्परागत विस्तृत समीक्षा पूरा बजट प्रस्तुत करते समय की जायगी। परन्तु सदन में जो श्वेत-पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें वर्तमान प्रयोजनों के लिए और वर्तमान वित्तीय स्थिति के सामान्य मूल्यांकन के लिए आवश्यक सूचना सम्मिलित है।

वर्ष १९७०–७१ के मूल बजट अनुमानों में राजस्व और पूंजी दोनों लेखे में कुल मिला कर २३ करोड़ ७२ लाख रुपये का घाटा दिखाया गया था। पुनरीक्षित अनुमानों में यह घाटा २५ करोड़ ३६ लाख रुपये हो गया है, जो अंशतः लोक लेखे के अधीन १६ करोड़ ७६ लाख रुपये की शुद्ध आय से पूरा किया जायगा, और शेष अपूरित रह जायगा।

वर्ष १९७१–७२ के वर्तमान अन्तरिम बजट में राजस्व और पूंजी लेखे के अन्तर्गत कुल मिला कर ३७ करोड़ २० लाख रुपये का घाटा दिखाया गया है। राजस्व व्यय का अनुमान ४५२ करोड़ ६१ लाख रुपये है, जिसमें राज्य आयोजनागत योजनाओं पर होने वाला ४४ करोड़ ५३ लाख रुपये का व्यय भी सम्मिलित है। पूंजी व्यय (जिसमें ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित है) का अनुमान १६८ करोड़ १० लाख रुपये हैं, जिसमें राज्य आयोजनागत योजनाओं पर होने वाला १४२ करोड़ ९० लाख रुपये का व्यय सम्मिलित है। ३७ करोड़ २० लाख रुपये के उपर्युक्त घाटे में से केवल १९ करोड़ ६५ लाख रुपये तक की पूर्ति लोक लेखे की शुद्ध आय से, जिसमें रिजर्व से निकाली जाने वाली धनराशि भी सम्मिलित है, होने की आशा है और घाटे की शेष धनराशि अपूरित रह जाती है।

हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना ९६५ करोड़ रुपये की है और १९७१–७२ का परिव्यय २०९ करोड़ १५ लाख रुपये नियत किया गया है, जब कि १९७०–७१ का परिव्यय १७९ करोड़ १९ लाख रुपये था। वर्ष १९७१–७२ के प्रस्तुत बजट में चालू आयोजनागत योजनाओं के लिए व्यवस्था की गयी है। सरकार से प्राप्त होने वाले ऋणों के अतिरिक्त राज्य विद्युत् परिषद् अपने संसाधनों से लगभग १६ करोड़ रुपये जुटायेगी। जैसा कि पहले कहा गया है, सम्पूर्ण आयोजनागत प्राविधान, जिसमें नई योजनायें भी सम्मिलित होंगी, पूरे बजट में प्रदर्शित होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि १९७१–७२ की सम्पूर्ण वित्तीय स्थिति पूरा बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद ही ज्ञात होगी। परन्तु यह प्रत्यक्ष है कि पूरे बजट में राजस्व और पूंजी लेखे दोनों को मिला कर घाटा और भी बढ़ जायगा। यह उल्लेखनीय है कि १९७१–७२ वार्षिक आयोजना के लिए भारत सरकार ने १०५ करोड़ २० लाख रुपये की सहायता (जिसमें ७० प्रतिशत ऋण तथा ३० प्रतिशत अनुदान है) नियत की थी जो कि इस राज्य की चौथी आयोजना के लिए नियत कुल ५२६ करोड़ रुपये का पांचवां भाग होता है। यह अनुमान लगाया गया था कि राज्य सरकार १९७१–७२ की वार्षिक आयोजना के लिए १०३ करोड़ ९५ लाख रुपये के संसाधन जुटाने में समर्थ होगी और इस आधार पर उक्त वार्षिक आयोजना के लिए २०९ करोड़ १५ लाख रुपये की धनराशि निश्चित की गयी। किन्तु सरकार ने कुछ लोकप्रिय मांगें पूरी की हैं जिसका प्रभाव उसके संसाधनों पर स्वाभाविक रूप से पड़ेगा। पहली जुलाई, १९७० से आरम्भ होने वाले कृषि वर्ष की रबी किस्त से सवा छः एकड़ तक के समस्त भूमिधर तथा सीरदार मालगुजारी भुगतान करने से मुक्त हो जायंगे। इस प्रकार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है जिससे लगभग ८५ प्रतिशत किसानों को लाभ पहुंचेगा। निम्न मध्यवर्ग को राहत देने के लिये बजट वर्ष से वृत्तिकर भी समाप्त कर दिया गया है। उपर्युक्त दो कारणों से बजट वर्ष की प्राप्तियों लगभग १५ करोड़ रुपये की कमी हो जायगी। प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम और मंहगाई भत्ते में तथा सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक संस्थाओं, डिग्री कालजों और विश्व विश्वविद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने से अगले वित्तीय वर्ष में सवा दो करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय भार पड़ेगा। सहायता प्राप्त हाई स्कूलों तथा इन्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की पुरानी मांगों को पूरा करने के लिए बैंक के जरिये उनके वेतनों का समय से भुगतान करने के लिये अध्यादेश जारी किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप लगभग २ करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होने की सम्भावना है।

भारत सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एकतरफा वृद्धि करती जा रही है, और हाल ही में उन्होंने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए अन्तरिम सहायता स्वीकृत की है जिसके

[श्री कैलाश प्रकाश]

फलस्वरूप राज्य कर्मचारियों आदि ने भी मांगें प्रस्तुत की हैं जिन्हें अनुचित नहीं कहा जा सकता। यह स्मरणीय है कि हम भारत सरकार पर बराबर इस बात के लिए जोर डालते रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय वेतन नीति निर्धारित की जाय और जब कभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की परिलब्धियों में वृद्धि की जाय तो केन्द्र राज्यों को आवश्यक वित्तीय सहायता दे, लेकिन अभी तक हमें इसमें सफलता नहीं मिली है। शिक्षकों एवं स्वायत्त शासन तथा राज्य कर्मचारियों की महंगाई से उत्पन्न कठिनाइयों को महसूस करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इनको शीघ्र ही अन्तरिम सहायता दी जाय। साथ ही राज्य सरकार अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, श्री एल०पी० निगम, की अध्यक्षता में एक वेतन आयोग भी नियुक्त कर रही है। प्रस्तुत बजट इसके लिए १५ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

उपरोक्त कारणों से राज्य सरकार के पहले अनुमानित संसाधनों में काफी कमी हो जायगी और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए यथासमय आवश्यक कार्यवाही करनी होगी। किन्तु किसी भी दशा में मूल आयोजना के परिव्यय में कोई कमी करने का इरादा नहीं है। वैसे तो अपने राज्य के लिए वर्तमान मूल योजना से एकअधिक बड़ी योजना की आवश्यकता है किन्तु संसाधनों की कमी इसमें बाधक है। जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, हमने भारत सरकार से इस बात के लिये बार बार निवेदन किया है कि जैसी विशेष सहायता वह कुछ अन्य राज्यों को देते हैं उसी प्रकार की विशेष सहायता हमें भी दें किन्तु उन्होंने इस बार भी यह अस्वीकार कर दिया है।

माननीय सदन से मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इस अवसर पर किसी तरह की ब्योरेवार समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अतः मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। मान्यवर, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं जन साधारण की दशा सुधारने तथा जनतांत्रिक कार्य प्रणाली के सिद्धान्तों के माध्यम से कल्याणकारी समाजवादी राज्य के घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति के निमित्त जो कि हम सभी का लक्ष्य है, सदन के सभी सदस्यों के पूर्ण सहयोग तथा सद्भावना की कामना करता हूं।

श्रीमन्, मैं वर्ष १९७१-७२ का बजट पेश करता हूं।

१९७१-७२ के लिये लेखानुदान

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष १९७१-७२ के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (बनाये रखने के लिये) अध्यादेश, १९७०†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री मलिखान सिंह)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (बनाये रखने के लिए) अध्यादेश, १९७० को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप मंत्रियों से दूर क्यों बैठे हैं ?

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) अध्यादेश, १९७१

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज (छात्र संघ) अध्यादेश, १९७१ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७१†

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७१ को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अध्यादेश, १९७१†

शिक्षा मंत्री (श्री श्रीपति मिश्र)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अध्यादेश, १९७१ सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६८–६९*

उद्योग मंत्री (श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६८–६९ को कम्पनीज ऐक्ट की धारा ६१९–ए के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७०††

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से (वित्त लेखा परीक्षा एवं बिक्री–कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी० ३२५५/१०–९०६ (ए०बी–२)–६८, दिनांक १६ नवम्बर, १९७० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७० को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २४ की उप धारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापे नहीं गये ।

*छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गई ।

वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की अधिसूचना संख्या एस० टी० ८७१/दस--९०० (१२)-६७, दिनांक ४ फरवरी, १९७१

वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की अधिसूचना संख्या एस० टी० ८७१/दस--९००(१२)--६७, दिनांक ४ फरवरी, १९७१ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश एन्टरटेन्मेन्ट्स एण्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट्स ऐण्ड बैटिंग-टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २८ पर)

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २९ पर)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिय नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३० पर)

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिय नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३१ पर)

---

†छापी नहीं गई।

इन्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा--

श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कर्य-संचालन नियमावली के नियम १६० के अन्तर्गत इन्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३२ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि--

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक, १९७०पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २६ जून, १९७० की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १४ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २३ दिसम्बर, १९७० को प्राप्त हो गई गई है और वह सन १९७० का उत्तर प्रदेश का ३२ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेन्ट्स एण्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि--

उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेन्ट्स ऐण्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १० दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १८ दिसम्बर, १९७० को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २५ दिसम्बर, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का ३३ वां अधिनियम बन गया।

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि--

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ९ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक १७ दिसम्बर, १९७० को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २५ दिसम्बर, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का ३४वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय,मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि—

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १५ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २२ दिसम्बर, १९७० की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २८ दिसम्बर, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का ३५वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश वृत्ति व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर (निरसन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि—

उत्तर प्रदेश वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवा योजन कर (निरसन) विधेयक, १९७० पर,जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २१ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २४ दिसम्बर, १९७० को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २९ दिसम्बर, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का ३६वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि—

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९७०–७१ का अनुपूरक) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १६ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २३ दिसम्बर, १९७० को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २९ दिसम्बर, १९७० को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७० का उत्तर प्रदेश का ३७वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि—

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय–कर) (संशोधन) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १४ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २१ दिसम्बर, १९७० को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २ जनवरी, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि---

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १० दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २१ दिसम्बर, १९७० को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २ जनवरी, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का दूसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि---

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २३ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २६ दिसम्बर, १९७० को वासप प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २ जनवरी, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि--

उत्तर प्रदेश एक्साइज (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २१ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २३ दिसम्बर, १९७० की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक ४ जनवरी, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि--

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २४ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २६ दिसम्बर, १९७० की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक १० जनवरी, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि—

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १७ दिसम्बर, १९७० की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २३ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में कुछ संशोधनों सहित पारित किया था और उन संशोधनों को विधान परिषद् ने दिनांक २६ दिसम्बर, १९७० की बैठक में स्वीकार किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १३ जनवरी, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ के उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

विष्ट इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा घोषणा करता हूं कि—

विष्ट इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १४ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १७ दिसम्बर, १९७० की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया था और उन संशोधनों को विधान सभा ने दिनांक २३ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में स्वीकार किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १३ जनवरी, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गुन्डा नियंत्रण विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि—

उत्तर प्रदेश गुन्डा नियन्त्रण विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १५ दिसम्बर, १९७० की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २४ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १३ जनवरी, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोररी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से घोषणा करता हूं कि—

उत्तर प्रदेश (टेम्पोररी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इक्विसन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १४ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १७ दिसम्बर, १९७० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १३ जनवरी, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि—

उत्तर प्रदेश इण्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १० दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २२ दिसम्बर, १९७० को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १५ जनवरी, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७०

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि—

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थाई अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २१ दिसम्बर, १९७० के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २३ दिसम्बर, १९७० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक १० फरवरी, १९७१ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७१ का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया ।

लोक सभा के लिये निर्वाचित सदस्यों द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, इलाहाबाद का त्याग-पत्र आया है, चूंकि यह लोक सभा के सदस्य चुन लिए गए हैं, इसलिए उन्होंने इस सदन से अपना त्यागपत्र दे दिया है। श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट ने भी त्याग पत्र इस सदन से दे दिया है, चूंकि वह लोकसभा के सदस्य चुने गये हैं। तीसरे श्री गेंदासिंह ज ने भी यहां से इस्तीफा दे दिया है चूंकि वह लोकसभा के सदस्य चुने गये हैं, वह वहां के सदस्य रहेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह द्वारा मन्त्रि परिषद् में दिये गये अविश्वास के प्रस्तावों को वापस लेना

श्री अध्यक्ष—

अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। श्री गोविन्द सिंह जी ने मुझे एक नोटिस दी है प्रस्ताव के साथ अनुज्ञा मांगने की, इस कारण कि सदन मंत्रिमंडल में अपना अविश्वास प्रकट करता है। यह उसका तात्पर्य था, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे यह लिखा है कि मैं उसे अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत नहीं करूंगा, क्योंकि नेता विरोधी दल ऐसा ही कोई अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। नेता विरोधी दल ने भी लिखा है कि वह ऐसा प्रस्तुत करना चाहते हैं। जिस

[श्री अध्यक्ष]

समय कई लोग ऐसे अविश्वास के प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, उस समय प्राथमिकता नेता, विरोधी दल को देनी चाहिए, यह साधारण व्यवस्था है। यदि नेता, विरोधी दल न लायें और दूसरे लोगों में से कोई लाना चाहे तो उसमें कोई रुकावट नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

यह सारे विरोधी दल का फैसला है।

श्री अध्यक्ष---

यह सारे सदस्यों का अधिकार है, यदि वह लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। दूसरे लोग भी यदि लाना चाहें और वे यह हिम्मत करते हैं कि ८५ आदमी उनके साथ हैं, तो प्रत्येक सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव ला सकता है। मैं आप को बता देना चाहता हूं कि वे जबरन इसे वापस नहीं ले रहे हैं स्वेच्छा से इसे वापस ले रहे हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने लिखित रूप से इसमें वैधानिक आपत्ति की है। प्रश्न यह है कि वापस ले नहीं सकते यह रद्द किया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने वैधानिक आपत्ति की थी कि वह दल जो कि सरकार नहीं बना सकता कोई इस प्रकार का अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकता जिसके लिये आपने एक बार रूलिंग भी दी है।

श्री गोविन्द सिंह---

जो सरकार बना सकता है वह प्रस्ताव ला रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें वैधानिक आपत्ति है। श्री गोविन्दसिंह नेगी की पार्टी में उनको मिला कर चार सदस्य हैं। श्री राजनारायण एक बार अविश्वास का प्रस्ताव लाये थे और उस को अनुज्ञा नहीं मिली थी। वापस लेने का प्रश्न नहीं उठा था अनुज्ञा नहीं मिली थी। उस वक्त इस सदन के अन्दर आप देखेंगे एक रूलिंग हुई है।

श्री अध्यक्ष---

वह अनुज्ञा का प्रस्ताव लाना नहीं चाहते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार का एक बार प्रश्न उठा था जिसमें अविश्वास का प्रस्ताव वापस लेने की अनुज्ञा मांगी गयी थी और वह नहीं दी गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्पष्ट कर दें कि इस अविश्वास के प्रस्ताव को अनुज्ञा नहीं मिली है। वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गोविन्दसिंह---

मेरा निवेदन यह है कि स्वामी जी ने जो व्यवस्था उठायी है उसके सम्बन्ध में मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था मुझ से मांगी है। लोक सभा में मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न इस तरह का देखा था। छः या सात व्यक्तियों ने अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित किया था। अध्यक्ष ने पहले का नाम लिया जिसने पहले दिया था। उसने कहा कि मैं विदड्रा करता हूं। उन्होंने

पूछा कि उनके पास ५० आदमी हैं या नहीं। लोक सभा में ५० आदमी होने चाहिए तब अनुज्ञा मिलती है। उन्होंने कहा कि मैं अनुज्ञा मांगने के लिए नहीं खड़ा होता हूं। प्रस्ताव वापस ले लेता हूं। वह खत्म हुआ। ऐसे ही छः का खत्म हुआ। सब ने कहा कि जो कृपालानी जी का प्रस्ताव है अविश्वास के बारे में उसको हम सपोर्ट करते हैं इस लिए हम सब विद्ड्रा करते हैं। इसी तरह से नेगी खुद कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा आपसे।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं। कल ११ बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर १४ मिनट पर मंगलवार, २३ मार्च १९७१ के ११ बजे दिन तक के लिय स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२२ मार्च, १९७१।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६ पर)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को उनके २२ मार्च, १९७१ को प्रारम्भ होने वाले प्रथम सत्र में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डा० बैजवाड़ा गोपाल रेड्डी का अभिभाषण ।

विधान मंडल के सदस्यगण,

नये वर्ष का प्रथम सत्र लोक सभा के मध्यावधि चुनाव के पश्चात् आज प्रारम्भ हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव अल्प सूचना पर कराये गये थे, फिर भी यह सन्तोष का विषय है कि चुनाव आम तौर से शान्ति के साथ सम्पन्न हो गये हैं ।

लोक सभा के अप्रत्याशित चुनाव के कारण सरकार को अपनी नीतियों एवं कार्यक्रम के अनुसार आगामी वर्ष के बजट को तैयार कराने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया । इस समय आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम चार महीनों का लेखानुदान प्राप्त किया जायेगा। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदानों की अतिरिक्त मांगें भी आपके सामने प्रस्तुत की जायेंगी ।

इस राज्य के सामने इस समय बहुत सी समस्यायें हैं जिनमें गरीबी, बढ़ती हुई आबादी, औद्योगिक पिछड़ापन, आर्थिक, सामाजिक एवं क्षेत्रीय असमानताएं व बेरोजगारी मुख्य हैं। इन समस्याओं को हल करने के लिए राज्य योजना के अलावा निजी तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में भी भारी मात्रा में पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी । राज्य योजना के अन्तर्गत इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अधिक से अधिक प्रयास किया जायेगा। उसके लिए योजना में आवश्यक संशोधन भी करने हो सकते हैं जिनका ब्यौरा आवश्यकतानुसार आपके सामने समय-समय पर रखा जायेगा ।

हमारी राष्ट्रीय योजनायें जहां हमें प्रगति की ओर ले गयी हैं, वहीं, इसमें सन्देह नहीं कि उनसे देश में क्षेत्रीय, आर्थिक और सामाजिक विषमतायें भी पैदा हुई हैं। विशेष रूप से, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति अन्य प्रदेशों की तुलना में भी नीचे गिरती गयी है। अन्य राज्यों के प्रति व्यक्ति औसत योजना परिव्यय के बराबर इस राज्य के प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय को लाने के लिये कम से कम एक सौ इक्यासी करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय की आवश्यकता राज्य की योजना के लिये होगी, जिसकी मांग केन्द्रीय सरकार से की गयी है ।

सघन खेती के कार्यक्रमों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है उसके फलस्वरूप सिंचाई तथा बिजली की आवश्यकतायें बहुत बढ़ गयी हैं। रामगंगा नदी परियोजना से चौथी योजनाकाल में लगभग साढ़े छः लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी व दो लाख किलोवाट बिजली बन सकेगी । बिहार के साथ मिलकर जो गण्डक नहर परियोजना पूरी हो रही है उससे लगभग तीन लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। घाघरा नदी पर एक बैराज बन रहा है तथा उस नदी से निकलकर एक फीडर नहर उसे शारदा नदी से मिलायेगी। इस परियोजना से मध्यवर्ती व पूर्वी जिलों में छः लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी । इसके अतिरिक्त टेहरी नगर के निकट भगीरथी नदी पर एक राकफिल बांध बनाने का कार्य शुरू हो गया है जिसके पूरा होनेपर साढ़े छः लाख हैक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी व बारह सौ मैगावाट बिजली बन सकेगी । पिछड़े क्षेत्रों में किसानों को सिंचाई सुविधायें बढ़ाने के लिए ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत मिर्जापुर जिले में कार्य शुरू हो गया है, जो कुछ अन्य कम बारिश वाले क्षेत्रों में भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। जिन क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी की समस्या है उसे दूर करने के लिये भी आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

प्रदेश में उद्योग व कृषि के शीघ्र विकास के लिये आवश्यक है कि बिजली की क्षमता काफी बढ़ाई जाय। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था कि प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में बारह सौ मैगावाट के एक अणु बिजली–घर की स्थापना की जाय। केन्द्रीय सरकार चार सौ मैगावाटके अणु बिजली–घर की स्थापना पर विचार कर रही है। ऐसे बिजली–घर की स्थापना में चार साल लग जायेंगे। यद्यपि यह हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम है, फिर भी इसकी स्थापना से बिजली की कमी पूरी करने में कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। ओबरा थर्मल विस्तार योजना के दूसरे चरण व अन्य कुछ योजनाओं को भारत सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

कृषि और उद्योग के संदर्भ में बिजली के न्यूनतम चार्ज व दरों का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है इसके लिए एक समिति नियुक्ति की जा रही है। किसानों को दी जाने वाली बिजली के न्यूनतम गारन्टी दर में कमी किये जाने के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है।

वर्तमान सरकार ने अपने थोड़े समय के कार्यकाल में जनता की खुशहाली व प्रगति हेतु जो कदम उठाये हैं उनका भी मैं यहां संक्षेप में उल्लेख करना चाहूंगा। सरकार ने वर्तमान रबी की फसल से सवा छः एकड़ तक की भूमि रखने वाले सभी भूमिधरों और सीरदारों को मालगुजारी से मुक्त कर दिया है। इससे पचासी प्रतिशत काश्तकारों को लाभ होगा। इसके बाद भी उन काश्तकारों को जोत वही बराबर मिलती रहेगी, जिससे उनके मालिकाना हकूक सुरक्षित रहें। भूमि के वितरण में अनयमितताओं को रोकने के लिये कड़ाई की गयी है। कानून में संशोधन करके यह प्राविधान कर दिया गया है कि भूमिहीन वही व्यक्ति समझा जायेगा जिसके पास बिलकुल ही भूमि न हो। अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली भूमि को वितरित करने में भी भूमिहीनों को प्राथमिकता दी गयी है। गत वर्ष भूमिहीनों को भूमि देने का जो अभियान चलाया गया उसके दौरान, यह अनुमान किया जाता है कि, सवा सात लाख एकड़ से अधिक भूमि भूमिहीनों में वितरित की जा चुकी है, जिसमें अस्सी प्रतिशत के लगभग भूमि अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति के सदस्यों को मिली है। लेन देन के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक भी आपके सामने आयेगा। शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगाने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है।

आर्थिक व समाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने का विशेष प्रयत्न किया गया है। सरकारी लिपिकीय एवं अवर वर्ग सेवाओं में हरिजनों को कम स्थान प्राप्त होने के कारण उनका प्रतिशत बढ़ा कर क्रमशः पच्चीस तथा पैंतालीस कर दिया गया था। पिछली कमी को और जल्दी पूरा करने के लिए तीसरी श्रेणी के गैर–तकनीकी तथा चौथी श्रेणी की सभी सेवाओं की अल्पकालिक रिक्तियों में भी आरक्षण का प्रतिशत पैंतालीस कर दिया गया है। हरिजनों और पिछड़े वर्गों के लिए अब तक जो प्रशासनिक व कानूनी कदम उठाये गये हैं उनके बावजूद अभी उनकी दशा में पर्याप्त सुधार नहीं हो पाया है। इस असन्तोषजनक प्रगति के कारणों का अध्ययन करने व इस सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये सरकार का एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का विचार है।

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों, अर्थात् पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देलखंड तथा पूर्वी अंचल के जिलों के विकास के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से एक अरब रुपये की धनराशि देने का आग्रह किया है। यदि केन्द्रीय सहायता यथोचित अंश में नहीं भी प्राप्त होती है तो भी सरकार ने अपने साधनों से ही इन क्षेत्रों की आर्थिक विषमताओं को यथासंभव दूर करने का निश्चय किया है। आर्थिक रूप से पिछड़े घोषित छत्तीस जिलों में विभिन्न उद्योग विकास संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए व्यापक अभियान चलाने का कार्यक्रम बनाया गया है। उद्योग धंधों की स्थापना के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को तुरन्त उपलब्ध कराने की

व्यवस्था की गयी है। राज्य के इन पिछड़े क्षेत्रों की प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों, बुन्देलखंड तथा पूर्वी अंचल के लिए अलग-अलग विकास निगम स्थापित करने का निश्चय किया है।

पुलों के निर्माण में गति लाने के हेतु एक पुल निगम के गठन का भी सरकार का विचार है।

उत्तर प्रदेश में आजीविका कमाने वाले लाखों व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने अपनी घोषित नीति और कार्यक्रम के अनुसार आगामी पहली अप्रैल से प्रदेश में, वृत्ति, व्यापार, आजीविका और सेवायोजन कर समाप्त कर दिया है।

बैंकों, ऐग्रो-इण्डस्ट्रियल-कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक तथा सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों को दिये जाने वाले ऋण से सम्बन्धित बन्धकों को दस हजार रुपय तक की मालियत तक स्टाम्प शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों व विश्वविद्यालयों व सहायता प्राप्त गर-सरकारी कालेजों एवं माध्यमिक स्कूलों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी है। प्राइमरी स्कूलों व जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम और महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गयी है। सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों को तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बैंक द्वारा कराने की व्यवस्था भी की गयी है।

सरकार एक वेतन आयोग की स्थापना करने जा रही है, जो राज्य कर्मचारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों व शिक्षा तथा प्राविधिक संस्थाओं के अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन के बारे में अपनी संस्तुति देगा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि उपरोक्त कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दी जाय।

प्रदेश में मेडिकल कालेजों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से दाखिले के नियमों व प्रक्रिया मे संशोधित का निर्णय सरकार ने लिया है। शासन ने यह भी निश्चय किया है कि प्रदेश के अशासकीय आयुर्वेदिक व यूनानी कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अधिनियम मे आवश्यक संशोधन करने की कार्यवाही की जायेगी।

सरकार की नीति है कि उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों के भाग लेने में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाय।

उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिये सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं और सरकार अपने वकीलों को ऐसे निदेश देने जा रही है कि अपनी बहस हिन्दी में ही किया करें।

तकनीकी व्यक्तियों के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये इजीनियरिंग विभागों में सर्वेक्षण आदि का कार्य बढ़ाया गया है। एग्रोइण्डस्ट्रियल-कारपोरेशन के तत्वावधान में एक योजना चालू की गयी है जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मरम्मत और सेवा वर्कशाप कायम करने के लिये तकनीकी प्रशिक्षण और ऋण संबंधी सहायता दी जायगी। सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि श्रम-परक परियोजनाओं और कार्यविधियों को प्राथमिकता दी जाय ताकि अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिले।

प्रदेश में चीनी उद्योग की समस्याओं के समाधान के लिए एक राज्य चीनी निगम के गठन का निर्णय लिया गया है। यह निगम अलाभकर चीनी मिलों की स्थिति सुधारने तथा उन्हें अपने नियंत्रण में लेने के संबंध में भी विचार करेगा। सरकार ने सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि चालू चीनी मिलों का सहकारीकरण भी किया जाय।

नये उद्योगों के उत्पादन पर बिक्री–कर में जो छूट दी जाती है वह, भविष्य में, निर्णय के दिनांक से तीन साल के लिए दी जायेगी, ऐसा निश्चय सरकार ने लिया है। बिक्री–कर की अपीलों के शीघ्र निस्तारण के लिये अपील अधिकारियों के पदों की संस्था बढ़ाई गयी है। केवल एक ही स्तर पर क्रय–कर की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए अनाज के व्यापारियों द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किये जाने के लिए प्रक्रिया में भी सुधार किया जा रहा है।

राज्य में शान्ति और व्यवस्था समान्यतया संतोषजनक रही। राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिये दो नई सशस्त्र वाहिनियों का गठन किया गया। डकैती विरोधी संगठन की स्थापना से कई अन्तप्रदिशिक कुख्यात डाकुओं के गिरोहों का दमन किया गया जिन्होंने मुख्य रूप से आगरा, मथुरा, फर्रुखाबाद आदि क्षेत्रों में आतंक फैला रखा था। आर्थिक अपराधों की रोकथाम की कुशलता को बढ़ाने के लिए एक इकनामिक विंग की स्थापना भी की गयी है।

कुछ अध्यादेश मैंने विधान सभा के सत्रावसान के बाद जारी किये थे उनके स्थान पर विधेयक इसी सत्र में पारित करने की आप से अपेक्षा की जायेगी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य आवश्यक विधायी प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत किये जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ पर आपका स्वागत करता हूं।

जय हिन्द ॥

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६ पर)

उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेन्ट्स ऐन्ड बैटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण—

(१) खण्ड ३ के पार्श्व में निम्नलिखित शीर्षक रख दिया गया है :

"उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १४, १९७० के अध्याय ४ का निरसन"

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६ पर)

कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण—

(१) खण्ड ३ के पार्श्व में निम्नलिखित उपांतीय टिप्पणी रख दी गयी है :

"उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १४, १९७० के अध्याय ६ का निरसन"

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६ पर)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण—

(१) खण्ड १—क को खण्ड २ के रूप में तथा अनुवर्ती खण्डों को तदनुसार पुनरंकित किया गया है।

(२) पुनरंकित खण्ड २ के पार्श्व में निम्नलिखित उपान्तीय टिप्पणी जोड़ दी गई है :

"अधिनियम संख्या ३३, १९५२ की धारा २ का संशोधन"

(३) पुनरंकित खण्ड १२ के पार्श्व में निम्नलिखित उपान्तीय टिप्पणी जोड़ दी गई है :

"उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १४, १९७० के अध्याय ३ का निरसन।"

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १६ पर)

उत्तरप्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण—

(१) खण्ड १ की पंक्ति २ में शब्द "विधेयक" के स्थान पर "अधिनियम" रख दिया गया है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ १७ पर)

इन्डियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७० में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण—

(१) खण्ड ४ के पार्श्व में निम्नलिखित उपान्तीय टिप्पणी रख दी गई है।

"उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १४, १९७० के अध्याय ७ का निरसन"

विधान सभा पुस्तकालय

133940

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१६ एल० ए०—१९७१—८४५ (मैग०)।